

22/05/18

पत्रावली राज न्याय प्रायुक्त कार मंत्रालय -
 2018 केच्य डीटी ग्रास पेचापत सकडु मूलराज मे
 रघी गई, प्राची कडील उपलिनत/ विजाधीगिण
 वाकडु तामिल अनुउपात्तित/ प्राची के अधिवक्ता की
 एउपसीम वरदा लुनी गई, प्राची के अधिवक्ता ने
 बलाभा की प्राची को अपने प्वालोगी येनी के चारी
 मौर पन्ने नैयम त्थापित उरवाना मावयडु है।
 इमलिन प्राची का क्रिकेन स्वीडर रिमा जाडर क्रिकेन
 रिमा जावे। मतः प्राची का नैयमवनी क्रिकेन स्वीडर
 रिमा जाडर तडमीलगाए गिडा के उमिमान निमुत्त
 रिमा जाला है व क्रिकेन रिमा जाला है डि रिपु
 स्वम या अपने अधिवक्ता किनी भी मुं क्रिकेन
 निरिस्तु ले प्राची के प्वालोगी येनी की पन्नी
 नैयमवनी मोडे पर उमिमान कुलु जमा उरडर
 डरे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
 हो, पत्रावली फंसल सुमार ये, इनी नम्बर ले डम
 हो, दाखिल इफाल है।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु

राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, सवाउ मूलराज)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 333

दिनांक:- 22/05/2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री आसुराम पुत्र रामचन्द्र वगैरा 6,
जातियान्-जाट,
निवासीयान-रामदेरिया, सवाउ मूलराज,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

1. श्री राजुराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा 25
जातियान्-जाट, निवासीयान-रामदेरिया,
सवाउ मूलराज, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :- 128/18

आदेश

मौजा रामदेरिया पटवार हल्का सवाउ मूलराज के खेत खसरा नम्बर 381, 395, 396 रकबा कमरा: 29.08, 09.16, 25.05 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/ 334-38
प्रतिनिधित्व-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

बिहारक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:-22/05/2018

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, सवाउ मूलराज को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आसुराम पुत्र रामचन्द्र वगैरा 6।
4. विप्रार्थी श्री राजुराम पुत्र अर्जुनराम वगैरा 25।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

बिहारक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

18. पेमाराम पुत्र बनाराम

19. जोगाराम पुत्र कलाराम

पेमराम